न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 8873/2018

बनाम

प्रार्थीगण :-
1. मुन्नीदेवी पत्नि स्व.भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी प्रभु कोलोनी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल
3. प्रकाश पुत्र भंवरलाल
4. सम्पतराज पुत्र भंवरलाल
5. लीला पुत्री भंवरलाल
6. कंचन पुत्री भंवरलाल

जातियान मेघवाल निवासीगण पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

अप्रार्थीगण :-
1. माणकचन्द पुत्र शंकरराम
2. कमला पुत्री शंकरराम

जातियान मेघवाल निवासीगण प्रभु कोलोनी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ताः-
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थीगण की ओर से
श्री विजय चौहान, श्री राजेन्द्र देवड़ा अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 21/10/19

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया हैं ग्राम पीपाड़ शहर पटवारी क्षैत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1880 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2008/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2008/6 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2007/1 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1857 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1182/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, स्थित है । जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हक व हिस्सा निहीत है । जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक माप एवं सीमाकंन के अनुसार बन्टवाड़ा नही हुआ है तथा प्रार्थीगण ने मांप व सीमाकंन बन्टवाड़ा करवाने हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रकरण सं. 480/2017 अनवान मुन्नीदेवी बनाम माणकचन्द वगैरा में दिनांक 02.01.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दोनो पक्षकारान् को पाबन्द किया कि वादग्रस्त आराजी की मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे व एकदूसरे के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करेंगें । वादग्रस्त आराजी में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजुद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां देते हुए दिनांक 03.07.2018 को वादग्रस्त आराजी में जबरदस्ती रूप से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में प्रवेश कर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकियां दी व ऐलानिया रूप से कहा कि वादग्रस्त आराजी में खेती नही करने देंगे जबकि प्रार्थीगण रेकर्ड खातेदार है वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है प्रार्थीगण अजनबी खरीददार नही हैं प्रार्थीगण को उनके 1/3 हिस्से में कृषि कार्य करने से अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती रूप से रोका जा रहा है । जो कि न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.

Scanned by CamScanner

2018 की खुल्ले रूप से अवहेलना है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से में अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती रूप से कब्जा कर हड़पने की कोशिश की जा रही है व वादग्रस्त आराजी में निहीत प्रार्थीगण 1/3 हिस्से को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है व प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से में की गई बाड़ व मेडबन्दी इत्यादि को हटाने व तोड़ने की कोशिश की जा रही है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसिवर के कुर्क किया जाना न्यायोचित है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसिवर नियुक्त कर सुरक्षित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । वादग्रस्त आराजी को जरिये रिसिवर सुरक्षित किये जाने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की रक्षा होगी व अप्रार्थीगण पुलिस थाना पीपाड़ शहर में प्रार्थीगण द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने मे लगे हुए है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 03.07.2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द किया जा रहा है जिस पर उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर को व थानाधिकारी पीपाड़ शहर को वादग्रस्त आराजी में न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिये गये इसके बावजुद अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को काश्त नही करने दे रहे है । उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.07.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण आराजी से बेदखल करने की धमकियां देने व वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ व लगातार उत्पन्न हो रहा है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं. तीन को रिसिवर नियुक्त कर कुर्क किया जावें व भूमिधारी तहसीलदार की तहसील में वादग्रस्त आराजी को रखे जाने के सादर आदेश पारित फरमाया जावें । अन्य जो भी उचित आदेश हों प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमाया जावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर ,अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से वकील विजय चौहान ने वकालातनामा प्रस्तुत किया व जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. एक तोड़मरोड़ मिथ्या रूप से पेश किया होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शायी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1880, 1882/1, 1857 कुल 3 खसरा कुल रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा अप्रार्थी सं. एक के हक में प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थीगण के पिता स्व. शंकरलाल पुत्र प्रभुराम ने जरिये वसीयतनामा दिनांक 03.09.2004 को वसीयत कर दी थी तथा पुगंल जिला बीकानेा में एक जीरो केएलडी के मुरब्बा नंम्बर 169/40 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा जमीन प्रार्थीगण के हक में वसीयतनामा में उल्लेख कर प्रार्थीगण को दे दी थी जिसका प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया है । प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने व न्यायालय हाजा को गुमराह करने की कुचेष्टा की है जिसके लिए अप्रार्थी सं. एक ने काउन्टर क्लेम पेश कर दिया है जिसका प्रार्थीगणो ने मूल दावे में उक्त काउन्टर वाद का कोई जवाबुल जवाब नही दिया है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा नही रहा बल्कि खसरा नम्बर 2008/1, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

2008/6, खसरा नम्बर 2007/1 कुल खसरानम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में ही प्रार्थीगण का 1/3 वां हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. दो का 2/3 वां हिस्सा है । अप्रार्थी सं. दो ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. एक के हक में मौखिक रूप से हकतर्क कर दिया व आज लिखित रूप में कर दिया । इस प्रकार अप्रार्थी सं0 एक 2/3 वां हिस्सा पर काबिज काश्त है । पद सं. दो मिथ्या एवं सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है जिसमें प्रकरण सं. 480/2017 मुन्नीदेवी बनाम माणकचंद वगैराह दिनांक 02.01.2018 को अस्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा पारित की गई थी। उक्त आदेश की अप्रार्थी सं. एक व दो ने कभी भी अवहेलना नही की है क्योकि अप्रार्थी सं. एक वसीयत में मिली वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 1880 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1857 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है एवं शेष भूमि खसरा नम्बर 2008/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2008/6 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2007/1 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कल खसरा 3 कुल रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा जमीन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 0 एक व दो की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा है जिसमें अप्रार्थी सं. दो ने अपना 1/3 वां सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं. एक को मौखिक रूप से हकतर्क कर दिया है एवं आज लिखित कर दिया है इस प्रकार अप्रार्थी सं. एक उक्त खसरो की भूमि में 2/3 वां हक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण के उक्त खसरो में 1/3 वां हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही कर रहा है । प्रार्थीगण ने मनगढ़त रूप से झुठे तथ्य अंकित किये है । श्रीमान न्यायालय हाजा के आदेशानुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त व उपयोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करेगे एवं मौके पर व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे उक्त आदेश की पालना अप्रार्थ्ज्ञी सं. एक व दो ने अक्षरक्ष की है एवं अपने कब्जे काश्त की भूमि शांतिपूर्वक काबिज है । अप्रार्थी सं. एक व दो ने प्रार्थीगण को कभी बेदखल करने की धमकियॉ नही दी न ही उनको कभी खेती नही करने की ऐलानियॉ धमकी दी न उनकी हक व हिस्से की जमीन को हड़पने की कोशिश की न ही उनके हक व हिस्से में की गई मेडबंदी व तारबंदी, बाड़ को इत्यादि को हटाने व तोड़ने की कोशिश की है, सारे तथ्य प्रार्थीगण ने मनगढ़त व बेबुनियाद अंकित किये है । दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थीगण को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है प्रार्थीगण ने मनगढ़त रूप से तथ्य अंकित किये है एवं झुठा वाद कारण दर्शाने का प्रयाय किया है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी जान से मारने की धमकियॉ नही दी है । अप्रार्थीगणो ने कभी भी प्रार्थीगण के हक व हिस्से में कृषि कार्य करने के लिए जबरदस्ती कभी नही रोका । प्रार्थीगण ने सन् 2017 में वाद प्रस्तुत किया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपने हक व हिस्से की जमीन पर काश्त करके फसल प्राप्त कर रहे है अप्रार्थीगण ने कभी उनके हक व हिस्से की जमीन पर काश्त करके फसल प्राप्त कर रहे है अप्रार्थीगण ने कभी उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि में कभी तंग व परेशान नही किया है । अप्रार्थीगण ने हमेशा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना की है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी जान से मारने की धमकियॉ नही दी है । अप्रार्थीगणो ने कभी भी प्रार्थीगण के हक व हिस्से में कृषि कार्य करने के लिए जबरदस्ती कभी नही रोका । प्रार्थीगण ने सन् 2017 में वाद

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत किया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपने हक व हिस्से की जमीन पर काश्त करके फसल प्राप्त कर रहे है अप्रार्थीगण ने कभी उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि में कभी तंग व परेशान नही किया है । अप्रार्थीगण ने हमेशा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना की है । प्रार्थीगण ने दिनांक 03.07.2018 को कभी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज नही करवाई न ही उक्त प्रार्थना पत्र के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल दी हो ऐसा कोई सबूत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल दी हो ऐसा कोई सबूत प्रार्थीगण प्रस्तुत नही कर सके । प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अप्रार्थीगण को पाबंद करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये गये न ही पुलिस थानाधिकारी व उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्यवाही अथवा पाबंद होने की कार्यवाही नही हुई है । उक्त पद मे प्रार्थीगण ने सरासर मिथ्या तथ्य अंकित किये है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबित खारिज फरमाया जावें । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है इसलिए वादग्रस्त आराजी में रिसीवर नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य नही रह जाता है न ही जमीन को कुर्क करने का कोई महत्व रहता है । दिनांक 03.07.2018 को प्रार्थीगण को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है प्रार्थीगण ने मनगढ़त रूप से तथ्य अंकित किये है एवं झुठा वाद कारण दर्शाने का प्रयास किया है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी जाने से मारने की धमकियॉ नही दी है । अप्रार्थीगणो ने कभी भी प्रार्थीगण के हक हिस्से में कृषि कार्य करने के लिए जबरदस्ती कभी नही रोका। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी, सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावें एवं वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार से रिसिवर नियुक्त करने व कुर्क करने की आवश्यकता नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें ।

बहस वकुलाय सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का सयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण को उनके 1/3 हिस्से में अप्रार्थीगण कृषि कार्य नही करते देते है तथा राजस्व प्रकरण सं. 480/2017 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये हुये है व एक दूसरे के हक हिस्से में दखलन्दाजी नही करने हेतु दिनांक 02.01.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है तथा अप्रार्थीगण न्यायालय आदेश की पालना नही करे रहे है तथा प्रार्थीगण ने न्यायालय आदेश की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर व तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रार्थना पत्र भी पेश किये है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से को छोड़कर अप्रार्थीगण को शेष 2/3 हिस्से में ही कृषि कार्य करने हेतु पाबन्द किया जावें या वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक कुर्क किया जावें व विधवा प्रार्थीया मुन्नीदेवी के हक में आदेश फरमाने का निवेदन किया

Scanned by CamScanner

है । इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 1880, 1857, 1882/1, 2008/1, 2008/6, 2007/1 वसीयत में स्व. शंकरराम द्वारा अप्रार्थी माणकचन्द को दिये हुये है व वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा किया हुआ है व प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. भंवरलाल को बंटवाड़े में बीकानेर में मुरबा आंवटन किया हुआ है तथा सभी सामाजिक खर्च संयुक्त परिवार में माणकचन्द ने वहन किये है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीया ने कोई मुकदमा दर्ज नही करवाया है व स्व. शंकरराम द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर में विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण का जवाब, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में इन्द्राज है अप्रार्थीगण ने पद सं. 2 अपने जवाब में अन्तिम लाईन स्वयं अंकित किया है कि प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नही कर रहे है तथा राजस्व प्रकरण सं. 480/2017 में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व एक दूसरे के हक हिस्से में दखलन्दाजी नही करने हेतु निर्णय दिनांक 02.01.2018 को पाबन्द किया हुआ है । न्यायालय के विन्रम मत में राजस्व प्रकरण सं. 480/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2018 की पालना करवाया जाना विधि सम्मत है, अप्रार्थीगण के अन्य कथन साक्ष्य का बिन्दु है जो मूल वाद में बाद साक्ष्य तय होगे ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खसरे में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से को छोड़कर कृषि कार्य करेगे यदि अप्रार्थीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से को छोड़े बगैर कृषि कार्य करते है तो भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वह जरिये रिसीवर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में बोई हुई फसल को कुर्क कर वादग्रस्त आराजी को अपने कब्जे में ले लेवे ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/10/19 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।
फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner